निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी हेतु शर्ते।

निगम द्वारा अपने निम्नांकित निष्प्रयोज्य वाहन जहां हैं/जिस स्थिति में है, की खुली नीलामी दिनांक 04.09.2021 को अपरान्ह 01 बजे नियत की जाती है। इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित प्रपत्रों के सांथ पंजीकरण हेतु दिनांक 04.09.2021 को अपरान्ह 12 बजे कार पार्किंग परिसर, सूखाताल,नैनीताल में उपस्थित होने का कष्ट करें।

DL-02C/M-9510	Ambassader	Model 2002	Minimum Value Rs. 35000-00
UK-04H/7788	Ambassader	Model 2010	43500-00
UA-04/3242	Esteem	Model 2003	35000-00
UA-04/3635	Qualis	Model 2001	63500-00
UA-04/6042	Tata Truck	Model 2002	200000-00

नीलामी की शर्तेः–

1– आवेदन कर्ता को नीलामी में शामिल होने से पूर्व धरोहर राशि के रुप में क्रय किये जाने वाले प्रति वाहन हेतु रु0 10000.00 का बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद राशि कुमाऊ मण्डल विकास निगम लि0 के नाम जमा करनी होगी। तभी वह नीलामी में प्रतिभाग कर सकता है।

2– आवेदन कर्ता को नीलामी में शामिल होने से पूर्व अपना पहचान पत्र तथा पैन कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति निगम में जमा की जानी होगी।

3– नीलामी स्वीकृत हो जाने पर सम्बन्धित को तत्काल 50 प्रतिशत धनराशि व शेष 50 प्रतिशत एक सप्ताह के अन्दर भुगतान कर वाहन अपने कब्जे में लेना अनिवार्य होगा। तथा परिसर से अधिकतम पन्द्रह दिन के भीतर निष्प्रयोज्य वाहन को न उठाने की दशा में निगम द्वारा धरोहर राषि जब्त कर ली जायेगी।

4– प्रत्येक वाहन हेतु पृथक–पृथक आवेदन किये जाने होंगे।

5– वाहन ट्रान्सफर, स्टाम्प इत्यादि समस्त व्ययों का भुगतान आवेदन कर्ता द्वारा किया जाना होगा। बोली हेतु निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा लागू समस्त टैक्स आदि का भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा अतिरिक्त किया जाना होगा।

6–वाहनों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना अथवा स्थिति के सम्बन्ध में प्रभारी पैट्रोल पम्प से उनके दूरभाष संख्या 7534001704 में सम्पर्क किया जा सकता है।

7– किसी भी वाहन के नीलामी मूल्य को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊ मण्डल विकास निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

8– उक्त नीलामी के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद होने की दशा में विवाद का न्यायिक क्षेत्र नैनीताल रहेगा।

महाप्रबन्धक